

6th and final bill

Sch. XLV-Form No.134

50

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
N/A - Const of H.I R.R Bridge					
Across Kachhura river in					
Pasrauni village - under - Pokhara.					
Block in Dist of Champarni					
(CHAMPARNI)					
Agency - Vaishali Construction.					
c/o Sudhanshu Kumar.					
Vill - Pokhara, P.O - Rajasa					
P.S - Bidepur					
Dist. - Vaishali (Hajipur)					
Approval No - 94/SB/2018-19					
Date of work order - 9.03.2019					
Date of completion - 8.09.2020					
ABSTRACT OF COST					
1	Supply of fittings				
	Sizing Elts - 17mm				
	Bearing 0 - 17mm				
	vde P -				
	273007.20 m ³				
	① 0.83 x 17 ³ = 226646 m ³				
2.	Supplying H.I. and P.I.				
	- 17 H.I. & P.I.				
	in Sizing				

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					ABSTRACT OF COST
1/8					Dismantling of existing structure like culverts
					vide TMB P-42
					22.63 m ³
					① Rs. 1140.29/m ³ @ 25805.20
2/139					Placing RCC pipe
					NPS H.P. @ 1
					vide TMB P-42
					22.50 m ³
					② Rs. 4532240 / RM @ 101979.20
3/37					Consists of embankment with app. material from borrow pit
					vide TMB P-41
					③ Rs. 1370.10/m ³ @ 1
					④ Rs. 204.02/m ³ @ 279528.20
4/38					Consists of GSB Gr D with close grading @ 1
					vide TMB P-42
					30.93 m ³
					⑤ Rs. 3055298/m ³ @ 94521.20
5/7					Broad cast in situ M35 gun Rec Pile @ 1
					vide TMB P-42
					413.78 m
					⑥ Rs. 17212.38/m @ 17122139.20

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	2	156.34	m ³	(2)	
	R	747	= 88 / m ²		
					116924 ~
					h 30500507 ~
					82351 ~
					L 30418156 ~
					25500002 ~
					A. 4918154 ~

[Signature]
10/02/22

[Signature]
10/02/22
AB

Material Statement

Soil	-	344 95 m ³
Boulder	-	7.200 m ³
Steel	-	0.33 MT
Stone Metal chips	-	64.368 m ³
Coarse sand	-	38.620 m ³
Cement	-	22.126 MT
Stone Gravel	-	81.110 m ³
Coarse sand	-	53.932 m ³
Stone Gravel chips	-	20.250 m ³
Emulsion S ₁	-	0.637 MT
Emulsion S ₂	-	0.206 MT
Emulsion S ₃	-	1.425 MT

Continuation

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-मु0 अ0-4 (मु0)-रा0यो0-03-450/2018 4123

/पटना, दिनांक-10/9/18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा0प्र0से0

विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन पकड़ीदयाल प्रखंड के परसौनी ग्राम में कछुआ मोती नदी पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 45.370 मी0 निर्माण हेतु रू0 302.22 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 3.06 लाख अर्थात् कुल 305.280 लाख रुपये (तीन करोड़ पाँच लाख अठारह हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल के अधीन पकड़ीदयाल प्रखंड के परसौनी ग्राम में कछुआ मोती नदी पर आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 45.370 मी0 निर्माण हेतु रू0 302.22 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रू0 3.06 लाख अर्थात् कुल 305.280 लाख रुपये (तीन करोड़ पाँच लाख अठारह हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष जिसका विपन्न कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमरा: अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी एवं मुख्य अभियंता-3, के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाये।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या- मु0 अ0-4 (मु0)-नाबार्ड-03-159/2014 के पृ0सं0-13/टि0 पर दिनांक 25.01.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं0- मु0 अ0-4 (मु0) नाबार्ड-03-450/2018 के पृ0 सं0-02/टि0 पर दिनांक-09.08.2018 को प्राप्त है।

G.K

10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45/94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प सं० 96 दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक-30.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संधिका सं०-मु० अ०-4 (मु०) नाबार्ड-03-450/2018 के पृष्ठ संख्या-06/टि० पर दिनांक-31/8/18 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
13. योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध किया जाय।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

विशेष सचिव

(संजय कुमार)

विशेष सचिव

ज्ञापक- मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-450/2018 4125

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

/पटना, दिनांक-10/9/18

विशेष सचिव

ज्ञापक मु० अ०-4 (मु०)-रा०यो०-03-450/2018 4123

/पटना, दिनांक-10/9/18

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/उप विकास आयुक्त, पूर्वी चम्पारण/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-3, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-4 (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, मोतिहारी/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, पकड़ीदयाल/मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव